रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17122025-268582
CG-DL-E-17122025-268582

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 816] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 17, 2025/अग्रहायण 26, 1947
No. 816] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 17, 2025/AGRAHAYANA 26, 1947

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2025

सा.का.नि. 902(अ).— केंद्रीय सरकार, राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 (1976 का 80) की धारा 6 की उप-धारा (6) के खंड (क) और धारा 7 की उप-धारा (7) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित प्रयोजन के लिए, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) को भारत की महाद्वीपीय मग्नतट भूमि और भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र तक विस्तारित करती है, अर्थात् :-

(क) भारत की महाद्वीपीय मग्नतट भूमि या भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 (2003 का 17) के अधीन प्रदत्त संक्रिया संबंधी अधिकारों के अधीन खनिजों का आवीक्षण, खोज या उत्पादन, और;

(ख) खंड (क) में उल्लिखित किसी भी कार्यकलाप के संबंध में किन्हीं वस्तुओं की आपूर्ति।

[फा. सं. यूआई /22/104/2025]

डॉ. अखिनो विमल, संयुक्त सचिव (यूएनईएस प्रभाग)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th December, 2025

G.S.R. 902(E).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (6) of section 6 and clause (a) of sub-section (7) of section 7 of the Territorial Waters, Continental Shelf, Exclusive Economic Zone and other Maritime Zones Act, 1976 (80 of 1976), the Central Government hereby extends the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) to the continental shelf of India and the exclusive economic zone of India with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, for the following purpose, namely:—

(a) the reconnaissance, exploration or production of minerals under operating rights granted under the Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Act, 2002 (17 of 2003) in the continental shelf of India or the exclusive economic zone (EEZ) of India, and;

(b) the supply of any goods in connection with any of the activities mentioned in clause(a).

[F. No. UI/22/104/2025]

Dr. ACQUINO VIMAL, Jt. Secy. (UNES Division)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA